2022/13 2022/14

2022/12

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/9

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री हरिराम राजपुरोहित
जाति राजपुरोहित
निवासी मु.पो. तंवरी वाया कालन्द्री
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 02वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	अपीलाट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 29.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/1698–1700 दिनांक 29.04.2021 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 29.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2021/1698–1700 दिनांक 29.04.2021 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 646 दिनांक 06.12.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अत: ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से.क्रम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner